प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (कर) क्र. 223/2022

- मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा- प्रोपराइटर महेश कुमार गेमनानी पिता स्वर्गीय श्री बुद्धमल गेमनानी, आयु - 50 वर्ष, दुकान क्र. डी-29/ए, जोन-II, व्यापार विहार, जिला बिलासपुर (छ . ग .)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, वित्त व योजना विभाग (वाणिज्यिक कर विभाग), मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (वाणिज्य कर भवन), दक्षिण सिविल लाइन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (वाणिज्य कर भवन), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-II, बिलासपुर, (वाणिज्य कर भवन), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

---- प्रत्युत्तरदाता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अनुमेह श्रीवास्तव, अधिवक्ता

राज्य/ प्रत्युत्तरदाताओं की ओर से : सुश्री आकांक्षा जैन, अधिष्ठित अधिवक्ता

माननीय श्री राकेश मोहन पाण्डेय, न्यायाधीश

बोर्ड पर का आदेश

18.07.2023

1. याचिकाकर्ता ने वाणिज्य कर के विद्वान संभागीय उपायुक्त, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनाँक 21.07.2022 को चुनौती दी है, जिसके तहत वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 16.09.2001 की पुष्टि की गई है।प्रस्तुत याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों की मांग की हैः-

> " 10.1 संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनाँक 21.07.2022 (अनुलग्नक P /1) को अपास्त/रद्द किया जाए जिसके द्वारा विद्वान वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 16.09.2021 (अनुलग्नक P/2) की पुष्टि की गई है, तथा/अथवा
>
> 10.2 याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन याचिका स्वीकृत की जाए, तथा /अथवा
>
> 10.3 प्रत्युत्तरदात प्राधिकारियों को उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विधी अनुसार कार्यवाही करने तथा मूल्यांकन करने हेतु निर्देशित किया जाए, तथा/अथवा
>
> 10.4 प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे जाने वाला कोई अन्य अनुतोष प्रदान की जाए ।" "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एकल स्वामित्व वाली कंपनी है, जो आटा, नमक, माचिस के डिब्बे और पान मसाला आदि एफ. एम. सी. जी. सामग्री का व्यापार करती है। निर्धारण वर्ष 2016-2017 के बाद से, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षेप में '2005 का अधिनियम') की धारा 21 और 22 के तहत मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता को मूल्यांकन के लिए लेखा पुस्तक और अन्य सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ने 16.09.2021 पर प्राधिकरण के समक्ष लेखा विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद वाणिज्यिक कर अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश पारित किया और रु. 1,52,311/-का अतिरिक्त कर का दायित्व अधिरोपित किया। याचिकाकर्ता ने 2005 के अधिनियम की धारा 49 के तहत पुनरीक्षण की मांग की जिसे अदेश दिनाँक 21.07.2022 के

माध्यम से मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है तथा आदेश दिनाँक 16.09.2021 मूल्यांकन अधिकारी द्वारा बिना सोचे समझे पारित किया गया है।आगे उनका तर्क है कि आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे परन्तु आदेश दिनाँक 16.09.2021 पारित करते समय उन पर विचार नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कोई विसंगति नहीं बताई गई थी, फिर भी रु 1,52,311/- का अतिरिक्त कर लगाया गया है।आगे उनका तर्क है कि 5% के कर स्तर (टैक्स स्लैब) से रु 35,56,870/- की राशि के कारोबार को बिना किसी न्यायसंगत कारण के 14.5% कर स्तर के कारोबार में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलीलों और उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। उनका यह भी तर्क है कि तय न्यायिक उदाहरणों की अनदेखी करते हुए यांत्रिक आदेश पारित किया गया है।अतः उसने वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 16.09.2021 तथा वाणिज्यिक कर के संभागीय उपायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनाँक 21.07.2022 को अपास्त करने की प्रार्थना की है ।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका **(**कर **)** क्र**. 36/2018** दिनांक **16.02.2018 (**मेसर्स जैका ऑटोमोबाइल्स एण्ड फाइनेंस लिमिटिड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**)** में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंबन लिया है तथा तर्क किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सही या गलत तरीके से विचार किया गया था तथा गुणों के आधार पर निर्णय लिया गया है, अतः रिट याचिका पोषणीय है।

5. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्युत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के पास सक्षम मंच के समक्ष 21.07.2022 दिनांकित आदेश को चुनौती देने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय है परन्तु याचिकाकर्ता ने ऐसे कारणों से जो उसे ही ज्ञात हैं, वैधानिक उपाय से आगे बढ़ते हुए रिट याचिका दायर की। आगे उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता 2005 के अधिनियम की धारा 49 (4) के अनुसार भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। इसके बाद उनका तर्क है कि वर्ष 2016-2017 के संव्ययवहार के मूल्यांकन हेतु , याचिकाकर्ता को चार अलग-अलग तिथियों अर्थात 04.03.2021,10.06.2021,02.08.2021 और 25.08.2021 पर फॉर्म 28 के तहत मूल्यांकन नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष उपस्थित था तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सुनवाई और अवलोकन का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आगे उनका तर्क है कि बिक्री कर की लागू होने वाली दर इस न्यायालय के समक्ष पहली बार दायर की गई है तथा इसे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बाद यह तर्क किया गया है कि बिक्री या खरीद में लागू होने वाले कर की दर का विभाजन निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं हुआ था और इसे ठीक से विभाजित नहीं किया गया था, इसलिए, कानून के अधिकार के तहत, सक्षम प्राधिकारी ने इसे अपने सर्वोत्तम निर्णय हेतु विभाजित किया था। उनका निवेदन ह कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. 2005 के अधिनियम का अध्याय 14 अपील, पुनरीक्षण और सुधार से संबंधित है। 2005 के अधिनियम की धारा 49 आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है, जो निम्नानुसार हैः-

> "49. आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति-(1)
>
> आयुक्त-
>
> (i) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उपधारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा, या या
>
> (ii) आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था अभिलेख मंगाएगा
>
> और उस अभीलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा य ऐसे जांच करवा सकेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, (पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनाँक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर) जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर

सकेगा

परन्तु आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा- (क) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय आयुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष अपील लंबित है या यदि ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है;

(ख) (i) कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा या निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी सूचना के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने के पश्चात ही होगा अन्यथा नहीं, और

(ii) धारा 36 के अधीन किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: – आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप से इनकार किया गया है के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(1-क) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उप-धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण किसी ऐसे पुनः कर निर्धारण या शास्ति के पुनः अधिरोपण के किसी ऐसे आदेश के संबंध में है, जो अपील या पुनरीक्षण में दिए गए किसी निर्देश के अनुसरण में है, तो आयुक्त उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा, किन्तु मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा।

(2) आयुक्त स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसे आयुक्त ने धारा 43 के उपबन्धों के अनुसरण में अपनी शक्तियाँ प्रायोजित कर दी है, अभिलेख मंगा सकेगा और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा है या ऐसी जांच करवा सकेगा, जैसी की वह वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल

प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेगा।

(3) आयुक्त स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी के आधार पर, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा उ यदि वह यह समझता हो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें कोई ऐसा अधिकारी जिसको उसने अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं, सम्मिलित है उसमें (उस कार्यवाही में) पारित किया गया कोई आदेश, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, तो व्यापारी या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसा आदेश, जो कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो, कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर पारित कर सकेगा जिसमें कर निर्धारण में वृद्धि करने वाला या उसे उपान्तरित करने वाला या कर निर्धारण को रद्द करने वाला तथा नवीन रूप से कर निर्धारण करने का निर्देश देने वाला आदेश सम्मिलित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु -

(क) उस आदेश की जिसका कि पुनरीक्षण चाहा गया है, तारीख से तीन वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात कोई भी कार्यवाही इस उपधारा के अधीन शुरू नहीं की जाएगी,

(ख) आयुक्त इस उप-धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण उस दाशा में नहीं करेगा जबकि ऐसे आदेश के विरुद्ध बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील लंबित है या ऐसी अपील गुणागुण के आधार पर विनिश्चित की गयी है।

(4) आयुक्त द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किए गए आदेश के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई भी व्यापारी या व्यक्ति उसको आदेश संसूचित किए जानें की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील का सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन फाइल की गई अपीलों को धारा 48 की उपधारा (4), (5) तथा (6) के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

> (6) जहाँ आयुक्त यह मानता है कि उसके पूर्वाधिकारी द्वारा या किसी अपर आयुक्त विक्रय कर द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश उस सीमा तक जहाँ तक की वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, वहाँ वह ऐसे आदेश के विरुद्ध बोर्ड के समक्ष अपील, ऐसे आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर फाइल कर सकेगा। इस उपधारा के अधीन फाइल की गई अपीलों को धारा 48 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

8. 2005 के अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) की कण्डिका (i) के पठन से यह स्पष्ट है कि आयुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में, जैसे कि अपीलीय उपायुक्त या अतिरिक्त अपीलीय उपायुक्त; उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त; सहायक आयुक्त या अतिरिक्त सहायक आयुक्त; वाणिज्यिक कर अधिकारी या अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपने प्रस्ताव पर, उन कार्यवाहियों के अभिलेख मंगवा सकते हैं जिनमें ऐसा आदेश पारित किया गया था और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिलेख की पूछताछ कर सकते हैं। 2005 के अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) की कण्डिका (ii) में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां सहायक आयुक्त या अतिरिक्त सहायक आयुक्त; वाणिज्यिक कर अधिकारी या अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, तो किसी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किए गए आवेदन पर, आयुक्त उस कार्यवाही का अभिलेख मांग सकता है जिसमें ऐसा आदेश पारित किया गया है और इस अधिनियम के अनुसार मामले की जांच कर सकता है। 2005 के अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) की कण्डिका (i) और (ii) के मध्य अंतर यह है कि कण्डिका (i) में आयुक्त केवल स्वप्रेरणा एस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि कण्डिका (ii) के अनुसार आयुक्त किसी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 2005 के अधिनियम की धारा 49 (2) के अनुसार, आयुक्त स्वप्रेर से उन मामलों की किसी भी कार्यवाही हेतु अभिलेख मंगा सकता है जहां आयुक्त द्वारा किसी भी अधिकारी को शक्ति सौंपी गई थी।

2005 के अधिनियम की धारा 49 (3) में कहा गया है कि आयुक्त स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी पर, अभिलेख कि मांग और जांच कर सकता है।2005 के अधिनियम की धारा 49 (4) में कहा गया है कि कोई भी व्यापारी या व्यक्ति जो उप-धारा (3) के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करता है, जहां आयुक्त ने स्वप्रेरणा से या जानकारी पर किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की जांच की और आदेश पारित किया, तो ऐसा व्यापारी या व्यक्ति उस तारीख के साठ दिनों के भीतर न्यायाधिकरण (बोर्ड) के समक्ष अपील कर सकता है जिस दिन आदेश उसे सूचित किया गया था। 2005 के अधिनियम की धारा 49 (6) में कहा गया है कि यदि आयुक्त के पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है, तो वह ऐसे आदेश की तारीख से दो साल के भीतर आयुक्त के समक्ष ऐसी अपील दायर कर सकता है।

9. मेसर्स जयका ऑटोमोबाइल्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर द्वारा 2005 के अधिनियम की धारा 49 (1) के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "16. चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका सही या गलत है, जैसा कि पुनरीक्षण अदालत द्वारा विचार किया गया है और उसी पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र उपाय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करना होगा।चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सही या गलत तरीके से विचार किया गया था तथा गुणों के आधार पर निर्णय लिया गया है, याचिकाकर्ता के पास एकमात्र उपाय शेष रह जाता है कि वह उच्छ न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करे। चूंकि पुनरीक्षण याचिका में निवेदित तर्कों की यथार्थता पर विचार कर, पुनरीक्षण प्राधिकारी की पोषणीयता के पहलू को छुए बिना ऐसे प्रकरण में जहाँ अपील न कर पुनरीक्षण की मांग की गई थी, अब याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं होगा तथा उक्त परिस्थितियों में, रिट याचिका दायर करना ही उसके पास शेष एकमात्र उपाय है।"

10. प्रस्तुत प्रकरण में, मूल्यांकन अधिकारी ने दिनांक 16.09.2021 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बही- खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद याचिकाकर्ता पर रु. 1,52,311/- का जुर्माना लगाया तथा प्रत्युत्तरदाता क्र. 3 द्वारा आदेश की पुष्टि की गई है। आदेश दिनांक 21.07.2022 के अवलोकन से, यह दर्शित होता है कि संभागीय आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने पुनरीक्षण प्रकरण सं. 05/BC/02/22 का निर्णय लेते समय 2005 के अधिनियम की धारा 49 (3) के तहत प्रदान की गई स्वतः संज्ञान शक्तियों (स्वप्रेरणा) का प्रयोग किया है।पुनरीक्षण की मांग याचिकाकर्ता द्वारा नहीं कि गई थी, जबकि कण्डिका -8.6 में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि "अस्पष्ट, गैर-भाषी और मनमाने मूल्यांकन आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने 2005 के अधिनियम की धारा 49 के तहत पुनरीक्षण की मांग की है , जो पूर्वाग्रहपूर्ण आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करता है।"याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह तर्क पूरी तरह गलत है।याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण की मांग नहीं की गई थी, परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त ने 2005 के अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (3) में दी गई शक्ति का प्रयोग किया, इसलिए, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता का तर्क विधिक रूप से सही प्रतीत होता है कि 2005 के अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (3) के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायाधिकरण के समक्ष 60 के भीतर दिन अपील योग्य है। आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायाधिकरण के समक्ष 60 के भीतर दिन अपील योग्य है।मेसर्स जयका ऑटोमोबाइल्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में इस विवाद्यक पर चर्चा नहीं की गई थी कि पुनरिक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण की मांग 2005 के अधिनियम की धारा 49 के किन उपबन्धों के अन्तर्गत की गई थी। न्यायालय का निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सही या गलत तरीके से विचार किया गया था तथा गुणों के आधार पर उसका निर्णयन हो चुका है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में 2005 के अधिनियम की धारा 49 के समस्त उपबन्धों का विश्लेषण किया जा चुका है तथा आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है की आदेश पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 2005 के अधिनियम की धारा 49(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर पारित किया गया है। अतः 2005 के अधिनियम की धारा 49(3) के उपबंधों के अनुसार न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. यह कहने योग्य होगा कि जब याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध हो, तो आम तौर पर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।प्रस्तुत प्रकरण में जब याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर

याचिका विचारणीय नहीं है और परिणामस्वरूप, इसे खारिज किया जाता है। यद्यपि , याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, याचिका खारिज की जाती है।

सही/-

(राकेश मोहन पाण्डेय**)** न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur